UPAG040714532018

IN THE COURT OF
Chief Judicial Magistrate
AT ,Agra
(Presided Over by Sri Mritunjay Srivastava)
Cri. Case/6908979/2018

UP State V/s Makkhan Singh & Ors.

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजक।

बनाम

1- मक्खन सिंह पुत्र हुब्बलाल

2- चन्द्रशेखर पुत्र मक्खन सिंह

3- उदय सिंह पुत्र मक्खन सिंह

समस्त निवासीगणः-चमरौली, ताजगंज, आगरा।

----------अभियुक्तगण।

धारा–147, 323, 504 आई0पी0सी0
थाना–ताजगंज, जिला– आगरा।
मु0अ0सं0–208/2018

निर्णय

1– प्रस्तुत आपराधिक वाद का विचारण पुलिस थाना ताजगंज जिला आगरा के द्वारा मु0अ0सं0–208/2018 अन्तर्गत धारा–147, 323, 504 आई0पी0सी0 में अभियुक्तगण मक्खन सिंह, चन्द्रशेखर व उदय सिंह के विरूद्व न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने के आधार पर आरम्भ हुआ।

2–संक्षेप में अभियोजन का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थीया शर्वेश पत्नी विनोद कुमार (राजपूत) नि० ग्रा० चमरौली थाना ताजगंज आगरा। प्रार्थीया के पडौसी मक्खन सिंह पुत्र हुव्वलाल जो कि कफी समय से हमारे साथ मारपीट गाली गलौज करते चले आ रहे है। जिसका कईवार राजीनामा लिखा गया पर उक्त का बड़ा परिवार होने पर चाहे जब हमे व हमारे पति के साथ मारपीट करता रहा है। दि० 26–2–2018 साँय 6 बजे करीब दस बारह लोगो चन्द्र शेखर, उदय सिंह पुत्रगण मक्खन सिंह सात महिलाओं व अन्य बच्चों ने एक राय होकर मुझे मेरे पति के साथ मारपीट की है।

3– मुकदमा वादी के द्वारा उक्त घटना की तहरीर सम्बन्धित थाने पर दी गयी, जो थाने पर मु0अ0सं0–208/2018 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुयी। विवेचक द्वारा मामले की विवेचना की गयी तथा विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण मक्खन सिंह, चन्द्रशेखर व उदय सिंह के विरूद्ध धारा– 147, 323, 504 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4–अभियुक्तगण उपरोक्त न्यायालय में उपस्थित आये एवं उन्होने अपनी जमानत करवाई तथा न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण मक्खन सिंह, चन्द्रशेखर व उदय सिंह उपरोक्त के विरूद्व धारा– 147, 323, 504 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत दिनांक 08.02.2008

को आरोप विरचित किया गया जिसके अभिलिखित कथनों से अभियुक्गण के द्वारा इंकार किया गया व परीक्षण चाहा गया।

5– अभियोजन ने अपने कथन के समर्थन में **पी0डब्ल्यू0–1 श्रीमती सर्वेश देवी व पी0डब्ल्यू0–2 श्री विनोद कुमार** को परीक्षित कराया गया। अभियोजन की याचना पर शेष साक्षियों को उन्मोचित किया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की तद्नुसार अभियोजन साक्ष्य पूर्ण हुआ।

6–अभियुक्तगण के बयान द0प्र0सं0 की धारा 313 के तहत अंकित किए गए जिसमें उन्होंने घटना को गलत बताते हुए सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया। मैंने अभियोजन अधिकारी व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक रूप से परिशीलन किया। अभियुक्तगण को दोषसिद्व साबित करने के लिये अभियोजन को अपना कथानक युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना है।

7–पी0डब्ल्यू0–1 श्रीमती सर्वेश देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि घटना आज से लगभग 6 साल पहले शाम 6रू00 की है। मेरे पड़ोसी मक्खन सिंह, चंद्रशेखर, उदय सिंह मिलकर हमारे साथ अनावश्यक वाद विवाद करने लगे। उस बात को लेकर कई बार सुलह समझौता आपस में हुआ था लेकिन ये लोग आए दिन हमारे साथ वाद–विवाद करते रहते थे, जिसकी सूचना मैंने 100 नंबर पर कर दी। इस बात से नाराज होकर हम लोगों के साथ धक्का मुखी करने लगे। काफी भीड़ जमा हो गई। हम लोग गिर गए हमारे चोटें आ गईं। हल्की फुल्की चोटें आने के कारण हम लोग मेडिकल नहीं कराए थे। लोगों के बहकावे में आकर मैंने थाने में अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा लिखा दिया। तहरीर पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी गवाह ने पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

8– अभियोजन की प्रार्थना पर गवाह को पक्ष द्रोही घोषित किया गया तथा जिरह की अनुमति दी गई।

9– सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 से जिरह की गयी। जिरह में साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 द्वारा जिरह में कथन किया कि गवाह को धारा 161 सीआर. पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा घटना के बाद दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया। यदि लिखा है तो वजह नहीं बता सकती। मैं आधार कार्ड की छाया प्रति हस्ताक्षरित दाखिल कर रही हूं। यह कहना सही है कि अभियुक्तगण मक्खन हमारे जेठ हैं। चंद्रशेखर व उदय उनके लड़के हैं। यह कहना सही है कि हमारे बीच सुलह हो गई है परंतु यह कहना गलत है कि सुलह की वजह से सही बात न बता रही हूं।

10–पी0डब्ल्यू0–1 श्री विनोद कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि घटना दिनांक 26–2–2018 को सांय 6:00 की है। मेरे पड़ोसी मक्खन सिंह व उनके लड़के चंद्रशेखर व उदय सिंह आए दिन हम लोगों को परेशान व वाद विवाद करते रहते थे। इसके संबंध में लोगों के द्वारा आपस में सुलह कराई गई थी लेकिन यह लोग नहीं माने और दिनांक 26–2–2018 को शाम को हम लोगों के साथ वाद विवाद करने लगे। काफी भीड़ जमा हो गई। धक्का–मुक्की होने लगी। हम लोग गिर गए और हल्की–फुल्की चोटें आ गई।

11– अभियोजन की प्रार्थना पर गवाह को पक्ष द्रोही घोषित किया गया तथा जिरह की अनुमति दी गई।

12– सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 से जिरह की गयी। जिरह में साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 द्वारा जिरह में कथन किया कि गवाह को धारा 161 सीआर. पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा मैंने घटना के बाद दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया। यदि कुछ लिखा है तो मैं वजह नहीं बता सकता। मैं पहचान के रूप में आधार कार्ड की छायाप्रति हस्ताक्षरित दाखिल कर रहा हूं। यह कहना सही है

कि अभियुक्तगण उपरोक्त से मेरी सुलह हो गई है परंतु यह कहना गलत है कि राजीनामा की वजह से सही बात न्यायालय के समक्ष न बता रहा हूं।

13–इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वादी मुकदमा **पी0डब्ल्यू0–1 श्रीमती सर्वेश देवी व पी0डब्ल्यू0–2 श्री विनोद कुमार** ने अपनी मुख्यपरीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन की ओर से की गई जिरह में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया हैं जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन हो। अभियुक्तगण मक्खन सिंह, चन्द्रशेखर व उदय सिंह द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना कारित किये जाने के तथ्य से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है, जिसके कारण अभियोजन कथानक का विधितः समर्थन नहीं मिलता है तथा अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है और इनके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किए जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। पी0डब्ल्यू–01 वादी मुकदमा व पी0डब्ल्यू0–2 श्री विनोद कुमार द्वारा घटना का कोई समर्थन नहीं किया गया है। शेष साक्षी उन्मोचित किए गए हैं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण मक्खन सिंह, चन्द्रशेखर व उदय सिंह के द्वारा घटना कारित किए जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं होती है, इसलिए मात्र अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार किए जाने के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय का मत है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण मक्खन सिंह, चन्द्रशेखर व उदय सिंह के विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा– 147, 323, 504 आई0पी0सी0 को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। फलस्वरूप अभियुक्तगण दोषमुक्त होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण मक्खन सिंह, चन्द्रशेखर व उदय सिंह को धारा– 147, 323, 504 आई0पी0सी0 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बंधपत्र निरस्त किए जाते है तथा प्रतिभूगण को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की संशोधित धारा 437ए के अन्तर्गत अभियुक्तगण उपरोक्त को आदेशित किया जाता है कि वे मु0 20,000/–रूपये प्रत्येक का नवीन व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो–दो प्रतिभू छः माह की अवधि के लिए इस आशय का प्रस्तुत करेंगे कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध अपील योजित की जाती है तो वह माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्गत नोटिस के अनुपालन में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

दिनांकः 01.09.2025

(मृत्युंजय श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
आगरा।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः 01.09.2025

(मृत्युंजय श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
आगरा।